अनुस्मारक/ तत्काल

पत्रांक-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ 1533 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनॉक // 15-2- 2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,

वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ (बाधित अवधि)/ 1327 / वाणिज्य कर, दिनांक 30-01-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-**क0नि0-4-1312/11-2017/ 400(94)/2000टी0सी0 दिनांक 28-12-18** के क्रम में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की बाधित अवधि (दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान) से सम्बन्धित प्रकरणों में कमेटी बनाकर, कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 18-02-2019 तक मुख्यालय प्रेषित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि इस माह तक प्राप्त बीमा दावों को उपरोक्तानुसार परीक्षण कर दिनांक 18-02-2019 तक मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् बजट आवंटन किया जा सके। इसी प्रकार अग्रिम माह फरवरी व माह मार्च में भी प्राप्त होने वाले आवेदनों पर उपरोक्तानुसार परीक्षण करते हुए प्रस्ताव ससमय मुख्यालय को उपलब्ध कराये, ताकि बजट लैप्स होने की स्थिति न उत्पन्न हो। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए समिति का उत्तरदायित्व होगा।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ की आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ खण्डाधिकारियों एवं लेखापरीक्षकों को भी उक्त से सूचित करने का कष्ट करें।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
4- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या– क0 नि0–4–312 / 11–2018–400(1) / 2018

प्रेषक,

अरविंद कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन, अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांक 17 मई 2018

विषयः–वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को आगामी 01 वर्ष दिनांक 15.06.2018 से दिनांक 14.06.2019 तक लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–बजट–36–मु0व्या0दु0बी0यो0 (2018–19) / 1279 / वाणिज्य कर दिनांक 12.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को आगामी 01 वर्ष दिनांक 15.06.2018 से दिनांक 14.06.2019 तक लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा अनुमोदित निविदा प्रपत्र प्रेषित करते हुए बीमा कम्पनियों से निविदा आमन्त्रित किये जाने हेतु निविदा प्रकाशित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संलग्नक :–यथोपरि ।

अति महत्वपूर्ण

एडी0 कमि0 (लेखा)

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

17.05.2018

616
18.5.18

Add. Commr. (Accounts)

21-5-18

निविदा प्रपत्र
मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना
उद्देश्य

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु/हत्या/पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता हेतु **"मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना"** लागू है। उक्त बीमा योजना को दिनांक 15.06.2018 से 14.06.2019 तक (एक वर्ष) की अवधि के लिए संचालित करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदादाता के लिए निर्देश / शर्ते

1.1 प्रशासनिक दृष्टिकोण से, वाणिज्य कर विभाग 22 जोन में विभक्त है, जिसके अन्तर्गत कुल 45 सम्भाग है । इन 45 सम्भागों के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के पास अपने अपने सम्भाग में पंजीकृत व्यापारियों की विस्तृत सूचना उपलब्ध रहती है । पंजीकृत व्यापारियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर भी रहती है । बीमा कम्पनियॉ आवश्यतानुसार पंजीकृत व्यापारियों की सूचना विभागीय वेबसाइट www.comtax.up.nic.in से डाउनलोड कर सकती हैं ।

1.2. **बीमा आवरण की अवधि :-** दिनांक 15.06.2018 से 14.06.2019 तक प्रीमियम के भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए ।

1.3. **बीमा आवरण की धनराशि :-** शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1351/11-2017-400(94)/2000 दिनांक 27.10.2017 के द्वारा बीमा आवरण की धनराशि रूपया 5.00 लाख (रूपया पॉच लाख मात्र) प्रति व्यापारी से बढाकर रूपया 10.00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) किये जाने का निर्णय लिया गया है। बीमा प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी ।

1.4. .... तक कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या .... है । पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के आधार पर दिनांक 15.06.2018 से 14.06.2019 तक की अवधि के लिए दुर्घटना से मृत्यु/हत्या/पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता बीमा योजना (जिसे एतद्वपश्चात "बीमा योजना" कहा गया है) के संचालन के लिए (LUMP-SUM) एक मुश्त प्रीमियम के आधार पर निविदायें आमंत्रित की जाती है । पंजीकृत व्यापारियों की संख्या योजना के संचालन अवधि में 10 प्रतिशत तक बढ सकती है ।

1.5. Lump-Sum premium में वे सभी व्यापारी स्वतः आच्छादित होगें जो दिनांक 14.06.2018 तक पंजीकृत होगें तथा दुर्घटना से मृत्यु / हत्या/ पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता की तिथि तक पंजीकृत बने रहेगें अथवा बीमा अवधि दिनांक 15.06.2018 से 14.06.2019 के दौरान दुर्घटना से मृत्यु/हत्या/ पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता की तिथि से पूर्व पंजीकृत होंगे एवं दुर्घटना से मृत्यु/हत्या/ पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता की तिथि तक पंजीकृत बने रहेगें । दिनांक 15.06.2018 से 14.06.2019 के मध्य जो भी नये व्यापारी पंजीकृत होगें वे सभी व्यापारी उक्त बीमा योजना से आच्छादित होगें । इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि देय न होगी ।

1.6 उक्त बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु योजना अवधि में तीन-तीन माह के अन्तराल में चार बार विभाग द्वारा सूचना निदेशालय के माध्यम से हिन्दी व अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराया जायेगा ।

1.7. बीमित व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु/हत्या/ पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता होने पर व्यापारी/उत्तराधिकारी/लाभार्थी द्वारा सम्बन्धित ज्वाइन्ट

कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर के माध्यम से बीमा कम्पनी में दावा प्रस्तुत करने दिनांक से एक माह के अन्दर बीमित धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी को करना होगा चयनित बीमा कम्पनी बीमित धनराशि का चेक व्यापारी/उत्तराधिकारी/लाभार्थी के नाम जारी करके कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश कार्यालय के एडीशनल कमिश्नर(लेखा) को उपलब्ध करायेगी, जिसे उचित माध्यम से व्यापारी/उत्तराधिकारी/लाभार्थी को प्राप्त कराया जायेगा अथवा NEFT के माध्यम से सीधे व्यापारी/उत्तराधिकारी/लाभार्थी के बैक खाते मे भुगतान किया जायेगा । NEFT के माध्यम से भुगतान की दशा में इसकी सूचना कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को भुगतान की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर देनी होगी ।

1.8 पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा हत्या अथवा पूर्ण विकलांगता होने की दशा में बीमा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) की संस्तुति पर प्रश्नगत बीमित धनराशि रू0 ..../– (...) मात्र अथवा दुर्घटना में आंशिक विकलांगता होने की दशा में सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण में दिये गये विकलांगता प्रतिशत को आधार मानते हुए, विकलांगता के प्रतिशत के अनुपात में देय बीमा धनराशि एवं अन्य लाभ, यदि कोई है, व्यापारी/जीवित विधिक विवाहिता पत्नी/पति को भुगतान की जायेगी । उदाहरण के लिए यदि पंजीकृत व्यापारी किसी दुर्घटना से बीमित अवधि में आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है और विकलांगता 5 प्रतिशत पाई जाती है, तो 5 प्रतिशत बीमित धनराशि का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जाएगा । यदि दो या दो से अधिक विधिक पत्नियां जीवित है तो बीमित धनराशि बराबर बराबर जीवित विधिक पत्नियों में बॉटी जायेगी । पति / पत्नी दोनो के जीवित न रहने की दशा में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बन्धित को भुगतान किया जायेगा । यदि पंजीकृत व्यापारी अविवाहित है, तो प्रथमतः पिता को, पिता के जीवित न होने की दशा में माता को और पिता / माता दोनों के जीवित न होने की दशा में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराधिकारी/लाभार्थी को सम्बन्धित बीमित धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।

1.9 व्यक्तिगत स्वामित्व वाली फर्मों में फर्म के प्रोप्राइटर, संयुक्त हिन्दू परिवार के फर्म के मामले में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता एवं कम्पनी के मामलें में उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बीमा धारक के रूप में माना जायेगा । पंजीकृत साझीदारी फर्मो के मामलें में किसी भी एक साझीदार की दुर्घटना में मृत्यु अथवा हत्या अथवा पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता होने पर बीमित धनराशि का भुगतान ऊपर वर्णित प्रस्तर संख्या 1.8 के अनुसार "व्यापारी/जीवित विधिक विवाहिता पत्नी/ पति को भुगतान की जायेगी । यदि दो या दो से अधिक विधिक पत्नियां जीवित है तो बीमित धनराशि बराबर बराबर जीवित विधिक पत्नियों में बॉटी जायेगी । पति / पत्नी दोनो के जीवित न रहने की दशा में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) की संस्तुति पर बीमित धनराशि का भुगतान किया जायेगा । यदि पंजीकृत व्यापारी अविवाहित है, तो प्रथमतः पिता को, पिता के जीवित न होने की दशा में माता को और पिता / माता दोनों के जीवित न होने की दशा में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराधिकारी / लाभार्थी को सम्बन्धित बीमित धनराशि का भुगतान किया जायेगा । यदि एक समय में एक से अधिक साझीदार एक साथ मरते है अथवा पूर्ण विकलांग एवं आंशिक विकलांग होते है, तो बीमित धनराशि बराबर बराबर बांटी जायेगी ।

1.10 यदि कोई व्यापारी एक से अधिक पंजीकृत फर्म/फर्मो का स्वामी/पार्टनर है एवं एक से अधिक पंजीकृत फर्मो में बीमित व्यक्ति के रूप में चिन्हित है, तो ऐसी दशा में दुर्घटना में मृत्यु/हत्या/ पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता की स्थिति में, उक्त सभी फर्मो के एवज में बीमा धनराशि का भुगतान केवल एक प्रकरण मानते हुए किया जायेगा, न की फर्मो की संख्या के आधार पर ।

1.11 उक्त बीमा योजना के सम्बन्ध में अन्य वांछित जानकारी एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, लखनऊ (दूरभाष नम्बर 0522–2721140/2728197) से प्राप्त की जा सकती है ।

2.1 बीमा योजना अवधि की समाप्ति के छः माह अन्दर यदि कोई दावा चयनित बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाता है तो चयनित बीमा कम्पनी को उक्त दावे का भुगतान, जो नियमों के अन्तर्गत हो, करना होगा । यदि अज्ञानता / अपरिहार्य परिस्थिति के कारण कोई व्यापारी/लाभार्थी छः माह पश्चात दावा प्रस्ततु करता है, तो ऐसे मामलें में देरी को माफ करने के सम्बन्ध में कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश का निर्णय चयनित बीमा कम्पनी को मान्य होगा ।

2.2 चयनित बीमा कम्पनी को बीमा अवधि के दौरान प्रत्येक माह में कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय लखनऊ द्वारा आहूत बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होगा तथा उक्त बीमा योजना की अद्यावधिक प्रगति से अवगत कराना होगा । इस बैठक में चयनित बीमा कम्पनी के उत्तर प्रदेश में नियुक्त उच्चतम अथवा उनसे एक स्तर नीचे के अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा । कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर द्वारा आयोजित अन्य बैठकों में भी चयनित बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा ।

2.3 ऐसे समस्त प्रकरण, जिनमें दावा अस्वीकृत किया गया हो, सभी बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विस्तृत सूचना चयनित बीमा कम्पनी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, विभाग को अनिवार्य रूप से 15 दिनों में प्रेषित करनी होगी ।

2.4. कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर में बीमा योजना से सम्बन्धित अभिलेखों के आडिट के समय यदि किसी अभिलेख की आवश्यकता पडती है, जो चयनित बीमा कम्पनी से सम्बन्धित है, तो चयनित बीमा कम्पनी को उक्त अभिलेख कमिश्नर, वाणिज्य कर की मॉग पर अनिवार्य रूप से आडिट दल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

2.5. यदि प्रथम सूचना रिर्पोट एवं पंचनामें के आधार पर व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु अथवा हत्या साबित हो जाती है, तो पोस्टमार्टम न होने के आधार पर प्रकरण को निरस्त नही किया जायेगा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पंचनामें के आधार पर ही चयनित बीमा कम्पनी को प्रकरण का निस्तारण करना होगा ।

2.6 मृतक व्यापारी पंजीकृत था अथवा नही इस बात का प्रमाण पत्र विभाग के पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा और वह अनिवार्य रूप से बीमा कम्पनी को मान्य होगा ।

2.7. चयनित बीमा कम्पनी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग को प्रत्येक माह के समाप्ति पर माह में प्राप्त व निस्तारित प्रकरणों की सूची विलम्तम तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करानी होगी ।

2.8. न्यूनतम प्रीमियम के अर्न्तगत यदि दो बीमा कम्पनियों की दरें समान होती है, तो ऐसी दशा में बीमित धनराशि रू0 ..../–(......................................) मात्र प्रति व्यापारी के अतिरिक्त व्यापारियों को प्रस्तावित देय अन्य सुविधायें / लाभ यथा बीमित मृतक के

शव के परिवहन व्यय को वहन करना आदि प्रदान करने वाली बीमा कम्पनी को वरीयता जायेगी ।

2.9. उक्त बीमा योजना में बीमा भुगतान के मामलें में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है सम्बन्धित विवाद का निस्तारण आर्बीट्रेशन एवं कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 के प्राविधान अनुसार किया जायेगा । विवाद निस्तारण हेतु लखनऊ स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिका होगा ।

3.0 चयनित बीमा कम्पनी को कमिश्नर, वाणिज्य कर की तरफ से चयनित बीमा कम्पन के मण्डलीय प्रबन्धक को नोटिस जारी की जायेगी, इसी प्रकार चयनित बीमा कम्पनी कमिश्नर, वाणिज्य कर को नोटिस भेज सकती है ।

4.0 यदि चयनित बीमा कम्पनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति के दिनांक से एक माह अन्दर बिना कोई उचित कारण बताये भुगतान नही किया जाता है, तो ऐसी दशा में एव माह के पश्चात भुगतान की तिथि तक दण्ड स्वरूप 14 प्रतिशत ब्याज का भुगतान चयनित बीमा कम्पनी को करना होगा । अगर दावें में विलम्ब की अवधि का दण्ड ब्याज बीम कम्पनी द्वारा नही दिया जाता है, तो उसकी वसूली भूराजस्व के बकाये की भॉति की जायेगी ।

5.0 IRDA के परिपत्र संख्या HO/DGM(T)/114/2007/CR-6235 दिनांक 12.11.2007 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निविदादाता बीमा कम्पनियों से अर्नेस्ट मनी एवं सिक्योरिटी लेने का कोई प्राविधान नही है ।

6.1 उन्ही निविदादाताओं की निविदायें विचारार्थ स्वीकार की जायेगी जिसके द्वारा इंश्योरेन्स रेगुलेटरी एवं डेवलपमेन्ट अथारिटी (IRDA) से प्राप्त अद्यावधिक लाइसेन्स की प्रति संलग्न की जायेगी जिसका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य भी हो ।

6.2 निविदादाता का उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 मण्डल मुख्यालयों पर अथवा उनके जनपद में एक कार्यालय तथा लखनऊ में अनिवार्य रूप से मुख्य कार्यालय होना चाहिए । बीमा योजना के कियान्वयन एवं निष्पादन से सम्बन्धित सूचनायें लखनऊ स्थित मुख्य कार्यालय में रखी जायेगी तथा वहॉ नियुक्त अधिकारी द्वारा बीमा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण/निष्पादन किया जायेगा ।

6.3 भारत सरकार या राज्य सरकार या शासकीय निकाय द्वारा यदि कभी किसी बीमा कम्पनी को ब्लैक लिस्ट/डिबार्ड कर दिया है तो वह बीमा कम्पनी इस निविदा में भाग नही ले सकती है ।

6.4 निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर गत तीन वित्तीय वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 2016–17 एवं 2017–18) में प्रतिवर्ष रूपया एक हजार करोड से कम नही होना चाहिए ।

6.5 निविदा में भाग लेने वाली बीमा कम्पनी को कम से कम 05 लाख व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा पालिसी के अन्तर्गत गत तीन वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 2016–17 एवं 2017–18) के लिए सफलतापूर्वक बीमा आवरण प्रदान करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा ।

7.1. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में किसी कार्यदिवस में दिनांक .... से दिनांक .... तक **पूर्वान्ह 9.30 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे** तक रू0 ..../– (........................ ....) मात्र मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है । निविदा प्रपत्र का मूल्य वापस नही किया जायेगा ।

7.2 निविदा दिनांक .... को **अपरान्ह** .... बजे तक कमिश्नर, वाणिज्य कर, विभतिखण्ड गोमतीनगर उत्तर प्रदेश लखनऊ पर निविदा बाक्स में डाली जायेगी ।

7.3 निविदा दिनांक .... को **अपरान्ह** .... बजे गठित समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।

7.4. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा को अलग–अलग लिफाफें में बन्द करके एक साथ एक तीसरे लिफाफें में मुहरबंद करके रखा जायेगा । मुहरबन्द तीसरें लिफाफें के ऊपर "मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना" अंकित किया जायेगा ।

7.5. एक बीमा कम्पनी द्वारा एक से अधिक निविदायें नही दी जायेगी । यदि किसी बीमा कम्पनी द्वारा एक से अधिक निविदायें दी जाती है तो उस दशा में उसकी समस्त निविदायें निरस्त समझी जायेगी ।

7.6 सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी ।

7.7. वित्तीय निविदा खोलने से पहलें तकनीकी निविदा खोली जायेगी । तकनीकी निविदा में सफल होने के पश्चात ही सम्बन्धित बीमा कम्पनी की वित्तीय निविदा खोली जायेगी ।

7.8. निविदा में दी गयी किसी सूचना व प्रपत्र के गलत होने या तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति पर निविदाकर्ता को इस निविदा प्रक्रिया से अनर्ह कर दिया जायेगा ।

8.0. निविदादाता को तकनीकी निविदा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–1) पर जमा करना होगा । तकनीकी निविदा के अन्तर्गत निविदकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:–

(क) इंश्योरेन्स रेगुलेटरी डेवलपमेन्ट अथारिटी (IRDA) द्वारा निविदादाता के नाम में प्रदत्त पंजीकरण / लाइसेन्स का अद्यावधिक प्रमाण पत्र ।

(ख) बीमा कम्पनी का वार्षिक टर्नओवर गत तीन वित्तीय वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 2016–17 एवं 2017–18) में प्रतिवष एक हजार करोड से कम नही होना चाहिए । इसकी पुष्टि हेतु निविदा के साथ चार्टड एकाउण्टेट का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ।

(ग) नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता को कभी भारत सरकार या राज्य सरकार या शासकीय निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट/ डिबार्ड नही किया गया है ।

9.0. वित्तीय निविदा बिना शर्त होनी चाहिए । निविदादाता अपनी वित्तीय निविदा की धनराशि समस्त कर शुल्क व डयूटी को सम्मलित करते हुए निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) प्रस्तावित करना होगा । समस्त प्राप्त टेण्डरों में अन्य सभी शर्तें सामान्य होने की दशा में न्यूनतम टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा ।

10.1. कमिश्नर, वाणिज्य कर के स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सफल निविदादाता को एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा ।

10.2. अनुबन्ध विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क का वहन सफल निविदादाता द्वारा किया जायेगा ।

11.1. प्रस्तर 2.9 के प्राविधानों को बिना प्रभावित किए यह भी प्राविधानित है कि यदि कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश तथा बीमा कम्पनी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण Sole Arbitrator द्वारा किया जायेगा । Sole Arbitrator की नियुक्ति दोनो पक्षों की पारस्परिक सहमति से होगी । Sole Arbitrator की नियुक्ति पर दोनों पक्षों में मत भिन्नता है तो प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन Sole Arbitrator होगें । Arbitration and Conciliation Act,1996 का प्राविधान मध्यस्थता के मामलें में लागू होगा । मध्यस्थता का स्थान लखनऊ होगा ।

11.2. निविदा समिति के पास उसके स्वविवेक तथा निविदादाताओं के प्रति बिना किसी उत्तरदायित्व के निम्नलिखित अधिकार सरक्षित रहेगें :–

(क) समिति किसी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है या निविदा प्रक्रि
को समाप्त कर सकती है या सभी निविदाओं को किसी भी समय अनुबन्ध निष्पादित होने
पूर्व प्रभावित निविदादाताओं के प्रति बिना किसी उत्तरदायित्व के अस्वीकार कर सकती है ।

(ख) समिति निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रक्रिया को निलम्बित/निरस्त/संषोधित अथव
तिथि में परिवर्तन एवं अन्य षर्तो में परिवर्तन कर सकती है ।

(ग) आवष्यकता होने पर निविदा के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण अथवा अन्य सूचना
मांगने का अधिकार समिति को होगा ।

(घ) निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा निविदा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी भ
अभिलेख/साक्ष्य अथवा किसी अन्य सूचना को समिति स्वतंत्र रूप से सत्यापित /
अनर्ह/अस्वीकृत अथवा स्वीकृत कर सकती है ।

12. पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटनावश मृत्यु/हत्या होने के साथ–साथ पूर्ण विकलांगता तथ
आंशिक विकलांगता भी इस बीमा योजना से आच्छादित है ।

13. विकलांगता का आधार OFFICE OF THE CHIEF,COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES द्वारा जारी DISABILITIES GUIDELINE (संलग्नक–3) अनुसार होगा ।

14. लागू विधि (Applicable Law) में संशोधित/परिवर्धन/प्रतिस्थापन/निरसन की स्थिा
में निविदा प्रपत्र के संगत प्राविधान तद्नुसार स्वतः संशोधित/परिवर्धित/प्रतिस्थापित/निरसि
माने जाएगे ।